

न्यायिक अधिकारी का नाम सुहासिनी ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग० को विलोपित करती हूँ।

स्थान- दंतेवाड़ा

दिनांक-21/01/2026

PRINCIPAL DISTRICT SESSIONS JUDGE
SOUTH BASTAR DANTEWADA (C.G.)

(श्रीमती अपूर्वा दाँगी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

जिला- दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ०ग०)

पृष्ठांकन क्रं- / क्यू/मु०न्या०मजि०/2026
प्रतिलिपि -

दंतेवाड़ा, दिनांक 21/01/2026

01. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग० की ओर सादर प्रेषित।
03. माननीय प्रथम/ द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग० की ओर सादर प्रेषित।
04. माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी) जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग० की ओर सादर सूचनार्थ।
05. माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय नक्सल) जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग० की ओर सादर सूचनार्थ।
06. श्रीमान जिला दण्डाधिकारी (क्लेक्टर) जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग० की ओर सादर सूचनार्थ।
07. श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग० की ओर सूचनार्थ।
08. श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला सुकमा छ०ग० की ओर सूचनार्थ।
09. श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला बीजापुर छ०ग० की ओर सूचनार्थ।
10. सुश्री धेता ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बचेली, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग० की ओर सूचनार्थ।
11. श्री हर्षवर्धन जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग० की ओर सूचनार्थ।
12. जिला अभियोजन अधिकारी दक्षिण बस्तर छ०ग० की ओर सूचनार्थ।
13. अध्यक्ष, जिला/तहसील अधिवक्ता संघ, दंतेवाड़ा एवं बचेली की ओर सूचनार्थ।
14. जिला आवकारी अधिकारी दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की ओर सूचनार्थ।
15. वन संरक्षक/ परिक्षेत्राधिकारी दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की ओर सूचनार्थ।
16. सर्व थाना प्रभारी पुलिस जिला दंतेवाड़ा को सूचनार्थ।
- ✓ 17. असिस्टेंट प्रोग्रामर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला न्यायालय के वेबसाइट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

स्थान- दंतेवाड़ा

दिनांक- 21/01/2026

(श्रीमती अपूर्वा दाँगी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा

क्रमांक 03, सरल क्रमांक 02 के स्तंभ क्रमांक 03 तथा सरल क्रमांक 03 के स्तंभ क्रमांक 04 में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी का नाम सुहासिनी ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग० को विलोपित करती हूं।

08. उक्त आपराधिक कार्यविभाजन आदेश के परिशिष्ट "डी-02" को पूर्णतः विलोपित करते हुये नवीन परिशिष्ट "डी-02" निम्नानुसार प्रतिस्थापित करती हूं-

//परिशिष्ट-"डी-02"//

धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं धारा- 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के कथन/संस्वीकृति (न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय लैंगिक अपराध के मामलों में)

क्र.	आरक्षी केन्द्र	न्यायिक अधिकारी का नाम	स्तंभ क्रमांक 02 एवं 03 के न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में कथन/संस्वीकृति अभिलिखित करने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम
01	02	03	04
01	01-कोतवाली, दंतेवाड़ा 02- गीदम 03-बारसूर	हर्षवर्धन जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	श्वेता ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बघेली, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०
02	01-कटेकल्याण 02-अरनपुर 03-कुआकोण्डा 04-फरसपाल	हर्षवर्धन जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	श्वेता ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बघेली, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०
03	01- भांसी 02- बघेली 03- किरन्दुल	हर्षवर्धन जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	श्रीमती अपूर्वा दाँगी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०

09. उक्त आपराधिक कार्यविभाजन आदेश के परिशिष्ट "इ" के सरल क्रमांक 01 के स्तंभ क्रमांक 04, सरल क्रमांक 02 के स्तंभ क्रमांक 03 तथा सरल क्रमांक 03 के स्तंभ क्रमांक 05 में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी का नाम सुहासिनी ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग० को विलोपित करती हूं।

10. उक्त आपराधिक कार्यविभाजन आदेश के परिशिष्ट "इ-01" के सरल क्रमांक 01 के स्तंभ क्रमांक 04, सरल क्रमांक 02 के स्तंभ क्रमांक 03 तथा सरल क्रमांक 03 के स्तंभ क्रमांक 03 में उल्लेखित

04. उक्त आपराधिक कार्यविभाजन आदेश के परिशिष्ट "बी" को पूर्णतः विलोपित करते हुये नवीन परिशिष्ट "बी" निम्नानुसार प्रतिस्थापित करती हूँ-

//परिशिष्ट-"बी"//

अवकाश दिवस में रिमाण्ड कार्य

क्र.	दिनांक	न्यायिक अधिकारी का नाम पदनाम	स्तंभ क्रमांक 03 के न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति में आवश्यक कार्य संपादित करने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम	स्तंभ क्रमांक 03 एवं 04 के न्यायिक अधिकारी की अनुपस्थिति में आवश्यक कार्य संपादित करने वाले न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम
01	02	03	04	05
01	दिनांक 01 से दिनांक 10 तक	श्रीमती अपूर्वा दाँगी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	हर्षवर्धन जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	श्वेता ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बचेली, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०
02	दिनांक 11 से दिनांक 30-31 तक	हर्षवर्धन जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	श्रीमती अपूर्वा दाँगी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०	श्वेता ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बचेली, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग०

टीप- अवकाश दिवस में उक्त अनुसार मजिस्ट्रेट की अनुपलब्धता की दशा में जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा में उपलब्ध कोई भी मजिस्ट्रेट अथवा सिविल न्यायालय बचेली के मजिस्ट्रेट रिमांड दे सकेंगे एवं अत्यावश्यक कार्य संपन्न कर सकेंगे।

05. उक्त आपराधिक कार्यविभाजन आदेश के परिशिष्ट "सी" के सरल क्रमांक 03 को पूर्णतः विलोपित करती हूँ तथा उक्त परिशिष्ट के सरल क्रमांक 01 के स्तंभ क्रमांक 04, सरल क्रमांक 02 के स्तंभ क्रमांक 03 में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी का नाम सुहासिनी ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग० को विलोपित करती हूँ।

06. उक्त आपराधिक कार्यविभाजन आदेश के परिशिष्ट "डी" के सरल क्रमांक 01 के स्तंभ क्रमांक 04, सरल क्रमांक 02 के स्तंभ क्रमांक 04 तथा सरल क्रमांक 03 के स्तंभ क्रमांक 03 में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी का नाम सुहासिनी ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग० को विलोपित करती हूँ।

07. उक्त आपराधिक कार्यविभाजन आदेश के परिशिष्ट "डी-01" के सरल क्रमांक 01 के स्तंभ

(छ०ग०)

विविध आदेश

क्रमांक /क्यू/मु०न्या०मजि०/2026

दंतेवाड़ा, दिनांक 21/01/2026

मैं श्रीमती अपूर्वा दाँगी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंतेवाड़ा छ०ग० इस स्थापना में पदस्थ सुहासिनी ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ०ग०) का स्थानांतरण हो जाने के कारण उक्त न्यायालय रिक्त हो जाने से कार्य के सुचारु संचालन हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12(1) एवं 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक /क्यू/मु०न्या०मजि०/2025 दंतेवाड़ा दिनांक 03/09/2025 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती हूँ, जो कि माननीय प्रधान एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील होगा:-

01. उक्त आपराधिक कार्यविभाजन आदेश के प्रथम पृष्ठ न्यायिक अधिकारियों को आबंटित आरक्षी केन्द्र की सूची के सरल क्रमांक 04 में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी का नाम सुहासिनी ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग० को विलोपित करती हूँ।
02. उक्त आपराधिक कार्यविभाजन आदेश के सरल क्रमांक 03 में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी का नाम सुहासिनी ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छ०ग० एवं आपराधिक कार्यविभाजन का कार्यक्षेत्र को पूर्णतः विलोपित करते हुये उक्त आदेश के सरल क्रमांक 01 में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम श्रीमती अपूर्वा दाँगी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग० के सामने कॉलम नंबर 04 आपराधिक कार्यविभाजन का कार्य क्षेत्र में बिन्दु क्रमांक 14 के रूप में "जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा स्थित सभी आरक्षी केन्द्रों से उद्धृत भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354, 354-क, 354-ख 354-ग, 354-घ, 509-क, 509-ख एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74, 78, 79 से संबंधित प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण करना " समाविष्ट करती हूँ।
03. उक्त आपराधिक कार्यविभाजन आदेश के परिशिष्ट "ए" के सरल क्रमांक 03 को पूर्णतः विलोपित करती हूँ तथा उक्त परिशिष्ट के सरल क्रमांक 01 के स्तंभ क्रमांक 04 में उल्लेखित, सरल क्रमांक 02 के स्तंभ क्रमांक 03 में उल्लेखित, सरल क्रमांक 04 के स्तंभ क्रमांक 04 में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी का नाम सुहासिनी ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ०ग० को विलोपित करती हूँ।